न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्याः—387/2012/223 (2012/00067)

1. हरजीराम पुत्र सुवा,
2. अनोप पुत्री सुवा,
3. हीरा पुत्र सुवा,
4. श्रवणी पुत्री सुवा,
5. भागचन्द दत्तक पुत्र काना,
6. पप्पी पुत्री काना,
7. पूसी पुत्री काना,
8. सजनी पुत्री काना,
9. रमेश पुत्र गोपाल,
10. कैली पत्नी गोपाल,
    समस्त जाति गूजर, निवासी मरवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
11. कमला पुत्री गोपाल अव्यस्क जरिये सरंक्षक माता स्वंय कैली देवी पत्नी, गोपाल, जाति गुर्जर, नि0 मरवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
12. संजू पुत्री गोपाल अव्यस्क जरिये सरंक्षक माता स्वंय कैली देवी पत्नी, गोपाल, जाति गुर्जर, नि0 मरवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
13. गोल्या पुत्री गोपाल, अव्यस्क जरिये सरंक्षक माता स्वंय कैली देवी पत्नी, गोपाल जाति गुर्जर, नि0 भरवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र मदना, जाति गूजर, नि0 मरवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल निवासी गोरस तहसील करहाल, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश ।
2. मानादेवी पुत्री मदना पत्नि बिरदीचन्द, जाति गूजर, निवासी मातेड़ा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।
3. बिरदीचन्द पुत्र रामदेव, जाति गुजर, नि0 मोरूदा हाल निवासी मातेड़ा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जिला जयपुर दिनांक 14.5.2012 अंतर्गत वाद संख्या 271/2008 .

उपस्थितः—

1. श्री विनोद जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री वी0एस0राजावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.

(2) अपील संख्याः—524/2012/223 (2012/00072)

1. भंवरलाल पुत्र मदना, जाति गुर्जर, निवासी मरवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. मानादेवी पुत्री मदना पत्नि बिरदीचन्द, जाति गूजर, निवासी मातेड़ा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।

3. बिरदीचन्द पुत्र रामदेव, जाति गुजर, नि0 मोरूदा हाल निवासी मातेड़ा, तह0 फुलेरा, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. हरजीराम पुत्र सुवा, जाति गुर्जर, निवासी मरवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर हाल निवासी गौरस, तह0 करहाल, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश ।
2. अनोप पुत्री सुवा,
3. हीरा पुत्र सुवा,
4. श्रवणी पुत्री सुवा,
5. भागचन्द दत्तक पुत्र काना,
6. पप्पी पुत्री काना,
7. पूसी पुत्री काना,
8. सजनी पुत्री काना,
9. रमेश पुत्र गोपाल,
10. कैली पत्नी गोपाल,
   समस्त जाति गूजर, निवासी मरवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
11. कमला पुत्री गोपाल अव्यस्क जरिये सरंक्षक माता स्वंय कैली देवी पत्नी, गोपाल, जाति गुर्जर, नि0 मरवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
12. संजू पुत्री गोपाल अव्यस्क जरिये सरंक्षक माता स्वंय कैली देवी पत्नी, गोपाल, जाति गुर्जर, नि0 मरवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
13. गोल्या पुत्री गोपाल, अव्यस्क जरिये सरंक्षक माता स्वंय कैली देवी पत्नी, गोपाल जाति गुर्जर, नि0 भरवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जिला जयपुर दिनांक 14.5.2012 अंतर्गत वाद संख्या 219/2008 .

उपस्थितः–

1. श्री वी0एस0राजावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री विनोद जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 13 अनुपस्थित ।

.

निर्णय

दिनांक :–19.11.2018

1. यह दो अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.5.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में अलग–अलग प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त में अपील संख्या 387/2012/223 (2012/00067) के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा कृषि भूमि खसरा संख्या 706 रकबा 2 बीघा 13 स्विा, खसरा नंबर 707 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 708 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 709 रकबा 3 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम मरवा, तहसील मौजमाबाद में स्थित है जिसमें वर्तमान सेटलमेंट नंबर 833 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 834 रकबा 0.65 है0, खसरा नंबर

835 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 636 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 837 रकबा 0.76 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.41 है0 कायम किये गये जिस हेतु वाद पेश किया जो वाद संख्या 271/2008 दर्ज किया गया। उपरोक्त मद में वर्णित कृषि भूमि को वादीगण के पिता पूर्वज सुवा बहैसियत खातेदार संवत् 2011 के पूर्व से ही काबज काश्त था, करीबन 8 वर्ष पूर्व सुवा का स्वर्गवास हो गया, उसके पश्चात् अब भूमि पर वादीगण ने ज्वार काश्त की थी व काटी थी । सवंत् 2011 के पूर्व ही लाला के चारों पुत्र कालू, भोलू, सुवा, मदना अलग–अलग हो गये थे । मदना तो संवत् 3004–2005 में ही मरवा छोड़कर मध्यप्रदेश के जिला श्योपुर के गौरस गांव में जा बसा और वहीं अपने परिवार सहित रहा । उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 भी गौरस मध्यप्रदेश में रह रहा है एवं अपनी जीविकापार्जन व काश्त करता आ रहा है, मरवा छोड़ने के बाद वह कभी भी मरवा में नहीं रहा । वादीगण के पिता/पूर्वज सुवा उसके पिता लाला के साथ शामिल में रहा और विवादग्रस्त भूमि को व अन्य भूमि को सुवा व उसका पि लाला काश्त करते रहे है । सवंत् 2011 में पर्चा सैटलमेंट जारी हुआ जिसमें गलती से विवादित भूमि का पर्चा मदना पुत्र लालू के नाम से जारी हो गया, जबकि पर्चा सुवा के नाम से जारी होना चाहिये था तथा कब्जा काश्त सुवा का ही था । सुवा ने मदना को कई बार पर्चा दुरूस्ती हेतु कहा तो यही कहता रहा कि शीर्घ ही नाम करवा दूंगा, लेकिन मदना ने कोई कार्यवाही नहीं की । मदना के स्वर्गवास के बाद विवादित भूमि का नामांतकरण प्रतवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया तब सुवा एवं मदना की मृत्यु के पश्चात् वादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 कोई बार विवादित भूमि की खातेदारी को उनके नाम लगाने को कहा जिस पर वे टालमटोल करते रहे । अतः वाद स्वीकार कर मद संख्या 2 में वर्णित आराजी बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे ।

3. इसी भूमि के बाबत् एक अन्य वाद रेस्पो0 ने अपीलांटस के विरूद्ध वाद संख्या 219/2008 उनवान भंवरलाल बनाम हरजी वगैरह बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया । अधी0न्याया0 ने उक्त दोनों वादों को समेकित कर रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मुकदमा नंबर 219/2008 के बाबत अधी0न्याया0 के द्वारा 3/4 हिस्से की हद तक रेस्पो0/वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया तथा वाद संख्या 271/2008 अपीलांटस/वादीगण का आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के दर्ज हिस्से में 1/4 हिस्से का वादीगण/अपीलांटस को खातेदार घोषित किया एवं इसी हिस्से तक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर वादीगण/अपीलांट ने अपील संख्या 387/2012 (2012/00067) बउनवान हरजीराम बनाम भंवरलाल व अन्य एवं रेस्पो0/वादीगण ने अपील संख्या 524/2012 (2012/00072) उनवान भंवरलाल बनाम हरजी प्रस्तुत की है ।

4. दोनों अपीलों में पक्षकारान एवं विवादित भूमि समान होने तथा एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों अपीलों में एक साथ बहस सुनी जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे।

5. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस (अपील संख्या 387/2012 (2012/00067) उनवान हरजी बनाम भंवरलाल ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 2 में वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य का संपूर्ण रूप से अवलोकन नहीं किया

बल्कि सरसरी तौर पर वादीगण के पिता सुवा का संवत् 2009, 2010, 2011 की गिरदावरी में काश्त लालू गूजर के नाम दर्ज होने को आधार मानते हुए जिस प्रकार से आंशिक डिक्री किया है वह प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी संवत् 2033 में स्पष्ट रूप से सुवा की काश्त दर्ज होना अधी0न्याया0 ने माना है एवं उसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने वादीगण के वाद को आंशिक डिक्री करने भारी भूल की है । वादीगण/अपीलांटस ने अपने दस्तावेजी साक्ष्यों में गिरदावरी व लगान की रसीदे संवत् 2015 से 2033 की पेश की है जिसमें स्पष्ट रूप से एकमात्र सुवा की काश्त दर्ज है इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने एक्जी0डी0–6 गिरदावरी संवत् 2009–2010 जिसके कॉलम में खुदकाश्त लालू गूजर को आधार मानते हएु लालू गुजर के चारों लड़कों का बहिस्सा बराबर मानते हुए वादीगण/अपीलांटस का वाद 1/4 हिस्से का आंशिक डिक्री किया है जबकि वादीगण/अपीलांट का पिता सुवा अपने पिता लालू के साथ रहते थे और बहैसियत खातेदार अकेले लालू के साथ भूमि पर अकेले काबिज काश्त थे । लालू के अन्य लड़के कालू, भोलू, मदना संवत् 2011 के पूर्व ही लालू से अलग हो गये थे और मदना संवत् 2004–2005 में ही मरवा छोड़कर मध्यप्रदेश जिला श्योपुर जाकर बस गया था । इस अहम तथ्य को अधी0न्याा0 ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आंशिक रूप से पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 2 को अधी0न्याया0 ने विवादित आराजियात को लाला की सम्पति मानते हुए उसके चारो लड़को का उसमें 1/4 हिस्सा दर्ज होना मानकर डिक्री पारित की है जबकि उक्त तथ्य के बाबत् अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस के द्वारा अपने वादपत्र में एवं प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के द्वारा इस आशय का कथन ही नहीं किया गया था न ही इस बाबत् अपनी साक्ष्य सबूत ही पेश की है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने लाला का कब्जा काश्त होने के आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने जब तनकी संख्या 3 स्पष्ट रूप से वादीगण/अपीलांटस के पक्ष में साबित मानी है तो तनकी संख्या 7 भी उसी अनुरूप तय की जानी चाहिये थी लेकिन अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 व 7 एक दूसरे से संबंधित होने के बावजूद विरोधाभासी निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने लाला की काश्त गिरदावरी को आधार मानते हुए उसके चारों लड़कों का 1/4 हिस्सा होना मानते हुए जिस प्रकार से 1/4 हिस्से की डिक्री पारित की है वह पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.5. 2012 अंतर्गत वाद संख्या 271/2008 निरस्त किया जावे एवं वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद संपूर्ण रूप से डिक्री किया जावे। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 2012 पेज 193, आर0आर0डी0 2008 पेज 200, आर0आर0डी0 2006 पेज 73 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस/प्रतिवादीगण अपील संख्या 524/2012 (2012/00072) उनवान भंवरलाल बनाम हरजी ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । तनकी संख्या 2 का भार वादी/रेस्पो0 पर था जिसको उन्होंने किसी भी दस्तावेज से साबित नहीं किया था बल्कि अपीलांट/प्रतिवादी ने तनकी संख्या 7 बखूबी प्रदर्श डी–2 व डी–3 से साबित किया है लेकिन इसके बावजूद अधी0न्याया0ने इस तथ्य की अनदेखी कर विवादित आराजी में रेस्पो0/वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर अपीलांटस के अधिकारों

के साथ कुठाराघात किया है । अधी0न्याया0 ने लगान की रसीदों की गलत व्याख्या की है एवं जागीरी समय की गिरदावरी की भी गलत व्याख्या की है जो राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के खिलाफ है । तनकी संख्या 3 में मदना को गौरस गांव का बताया है लेकिन इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है जिससे तनकी संख्या 8 अपीलाटस के पक्ष में बखूबी साबित है तथा रेस्पो0 ने अपने वाद के पैरा संख्या 4 में लाला के चारों पुत्रों को सन् 2011 से पहले ही अलग–अलग होना बताया है जिससे भी तनकी संख्या 8 बहक अपीलांटस साबित है इसके बावजूद अधी0न्याा0 ने भंवरलाल का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस के पिता मदना के नाम का पर्चा बाई ऑपरेशन आफ लॉ राज0काश्त0अधि0 के प्रभाव में आने से एवं उस समय स्वंय काबिज होने से पर्चा सही जारी किया गया था एवं अपीलांटस के नाम वर्तमान में दर्ज है एवं काबिज है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 ने वाद संख्या 271/2008 गलत डिक्री किया है क्योंकि रेस्पो0/वादीगण जहां एक और वे अधिकारों की घोषणा चाहते है वहीं दूसरी ओर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा प्रस्तुत कर रहे है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 ने वाद संख्या 271/2008 में लेण्ड होल्डर तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनया जिससे वाद चलने योग्य नहीं था । अतः अपील अपीलांटस संख्या 524/2012 (2012/00072) उनवान भंवरलाल बनाम हरजी को स्वीकार किया जावे तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.5.2012 अपास्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 219/2008 उनवान भंवरलाल बनाम हरजी को स्वीकार किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1989 पेज 210, आर0आर0डी0 1985 पेज 342 डी–, आर0आर0डी0 1995 पेज 751, आर0आर0डी0 1974 पेज 424, आर0बी0जे0 2012 पेज 356 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस हरजीराम ने अधी0न्याया0 में विवादित आराजियात बाबत् वाद संख्या 271/2008 तथा वादीगण/रेस्पो0 भंवरलाल ने वाद संख्या 219/2008 प्रस्तुत किये । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार लाला थे जिसके चार पुत्र कालू, भोलू, सुवा व मदना थे, इनमें से मदना फौत हो चुका है । वादी हरजीराम वगैरह ने अपने वाद संख्या 271/2008 में कथन किया है कि मदना संवत् 2004–2005 में ही मरवा छोड़कर मध्यप्रदेश के जिला श्योपुर के गोरस गांव में जा बसा था और वही अपने परिवार सहित रहा । उसकी मृत्यु उपरांत प्रतिवादी संख्या 1 भी मध्यप्रदेश में ही रहा केवल वादीगण के पिता लाला के साथ शामिल में रहा और विवादित भूमि को व अन्य भूमि को सुवा व उसका पिता लाला काश्त करते रहे है लेकिन संवत् 2011 में पर्चा सेटलमेंट गलती से मदना पुत्र लालू के नाम से जारी हो गया जबकि पर्चा सुवा के नाम से जारी होना चाहिये था ।

8. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एक्जी0डी0 6 खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियों मे काश्त लालू गुजर की दर्ज है । उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह भली–भांति स्पष्ट है कि विवादित आराजियात लालू गुर्जर की खुदकाश्त की होकर पैतृक आराजियात थी जिसमें लालू के चारों पुत्रों

को बराबर–बराबर हक व अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत प्राप्त होते है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित भूमि लाला की होकर पैतृक नहीं होने के संबंध में किसी भी पक्षकार ने इंकार नहीं किया है । विवादित भूमि पर सुवा की निरन्तर काश्त दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है । सुवा के केवल मात्र बाहर रहने से उसे पैतृक सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 में प्रदत्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद को तनकीवार निर्णित किया है जो आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के अनुसार पारित किये जाने से विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन होना नहीं माना जा सकता है । पैतृक भूमि का पर्चा केवल एक भाई के नाम से जारी हो जाने से पैतृक सम्पति में दूसरे भाईयों का हक समाप्त नहीं हो जाता है। जहां तक 64 वर्षो की भारी मियाद बाहर पेश किये जाने का प्रश्न है राज0काश्त0अधि0 के तृतीय शिड्यूल में खातेदारी घोषणा के वाद हेतु को कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें हमें काई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में दोनों अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.5.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाये जाते है ।

9. अतः अपील अपीलांटस 387/2012 (2012/00067) हरजीराम बनाम भंवरलाल एवं अपील संख्या 524/2012 (2012/00072) भंवरलाल बनाम हरजीराम खारिज की जाती है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा वाद संख्या 271/2008 एवं 219/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.5.2012 यथावत् रखे जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 19.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर